

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक-...../

सं०-03/आ०1-203/2025/ श्री हेमचन्द्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा के विरुद्ध परिवादी श्री शिव शंकर प्रसाद यादव, (वरीय शिक्षक) प्र० आ० मध्य विद्यालय भोरा नगर सिमरी सहरसा, बख्तियारपुर, सहरसा द्वारा दायर परिवाद की जांच क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा से करायी गयी।

2. परिवाद में श्री हेमचन्द्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा के विरुद्ध परिवादी ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 65 वर्ष का लाभ प्रदान नहीं करने का आरोप लगाया है।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी श्री शिव शंकर प्रसाद यादव, (वरीय शिक्षक) प्र० आ० मध्य विद्यालय भोरा नगर सिमरी सहरसा, बख्तियारपुर, सहरसा द्वारा दायर परिवाद को संचिकास्त किया जाता है।
4. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक-03/आ०1-203/2025 i:1391485/ पटना, दिनांक-.....06/04/2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा/ श्री हेमचन्द्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

Manoranjan Kumar

Date: 06/04/2026 15:33:48